अधिसूचना सं0 19/2014-कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 8 में,-

(i) उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक का 1 अक्तूबर, 2014 से लोप किया जाएगा ;

(ii) उपनियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम 1 अक्तूबर, 2014 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1ख) प्रत्येक निर्धारिती रूप में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक शुल्क का संदाय करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, किसी निर्धारिती को इंटरनेट बैंकिंग से भिन्न किसी अन्य पद्धति द्वारा शुल्क का संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।";

(iii) उपनियम (3क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) यदि निर्धारिती उसके द्वारा विवरणी में संदेय घोषित शुल्क का नियत तारीख से उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है एक मास की अवधि के भीतर संदाय करने में असफल रहता है तो निर्धारिती प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए नियत तारीख से संगणित असंदत्त शुल्क की ऐसी रकम पर 1% की दर से शास्ति का संदाय करने का दायी है ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, 'मास' से, यथास्थिति,

उपनियम (1) या उपनियम (1) के पहले परंतुक के अधीन शुल्क के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट दो लगातार नियत तारीखों के बीच की अवधि अभिप्रेत है ।

(फा.सं. 334/15/2014-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 4/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 143(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना सं. 14/2014- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी), तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 202(अ) तारीख 21 मार्च, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।